न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 07 / 19

1. सुन्दरलाल पुत्र जडावदेवी पुत्री अकुडाराम जाति सांसी निवासी चौखुटी सांसीयान बीकानेर हाल चक 10 बी.डी.सी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. चन्दुराम पुत्र जडावदेवी पुत्री अकुडाराम जाति सांसी निवासी चौखुटी सांसीयान बीकानेर हाल चक 10 बी.डी.सी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. छोटूराम पुत्र जडावदेवी पुत्री अकुडाराम जाति सांसी निवासी चौखुटी सांसीयान बीकानेर हाल चक 10 बी.डी.सी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1. शारदादेवी पत्नी भंवरलाल जाति सांसी निवासी दाउदसर वाया जामसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. सेमादेवी पत्नी जगदीश जाति सांसी निवासी चौखुटी फाटक, सांसी मौहल्ला, बीकानेर।
3. चन्दादेवील पत्नी मदनलाल जाति सांसी निवासी श्रीरामसर, बीकानेर।
4. पुजा पुत्री स्व. मैना जाति सांसी नातिन जडाव व पिता भंवनलाल निवासी श्रीकोलायत जिला बीकानेर।
5. मंजूदेवी पत्नी रामुराम जाति सांसी निवासी श्रीकोलायत जिला बीकानेर।
6. ग्राम पंचायत 14 बी.डी. जरिये संरपंच तहसील खाजूवाला बीकानेर।
7. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2 श्री इंदरीश अहमद कुरैशी विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
1. पैरोकार राज उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक...............

.....

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 7 एसएसएम के मु0नं0 47/31 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा एवं मु0नं0 47/39 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसमें 18.00 कमाण्ड एवं 32.00 अनकमाण्ड कुल 50.00 बीघा भूमि हापूराम पुत्र भगाराम को आंवटनशुदा थी। अपीलांट ने ही हापूराम की जीवनकाल में सेवाचाकरी और हापूराम ने स्वेच्छा से रूबरू गवाहान दिनांक 12.05.1989 को उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी थी। हापूराम का देहान्त दिनांक 15.12.2000 को जाने के बाद अपीलांट ही लगातार उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहा है तथा समस्त किश्तें खजाना राज में जमा करवाकर और काफी खर्चा कर सिंचाई योग्य कर भूमि को खेती लायक बनाया। जनवरी 2010 को अपीलांट उक्त भूमि रिकार्ड में अराजीराज और किश्तों के अभाव में खारिज की जानकारी हुई तो अपीलांट ने बहाली की कार्यवाही शुरू की। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट ने इकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित करवाकर अपने नाम विरास्तन दर्ज करवा ली। अपीलांट ने उक्त जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत के तौर पर पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को रजि0ए0डी0 सम्मन से तलब किया गया दिनांक 17.02.2020 को रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई उपस्थित आये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे । जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा रेस्पोडेन्ट्स के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया । जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो काबिल खारिजी है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिकार्ड की कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट्स को दी गई। अपितु बालाबाला बिना मजमा आम मीटिंग के बिना प्रस्ताव ग्राम सभा के उक्त इंतकाल स्वीकृत लिख हस्ताक्षर कर दिये जो प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिजी है ।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर [illegible] जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद ... इस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन है। चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है और रेस्पोडेन्ट ने फार्म नं0 3 के साथ प्रार्थना पत्र मीमो न्यायालय जिला जज बीकानेर का पेश किया तथा फोटो प्रतिया पेश की है जो जैरअपील पक्षकारों के सम्बंध में नही है तथा इस अपील में उक्त दस्तावेजों का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जैरअपील इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 स्वीकृत करते समय अपीलांट्स की जरिये वसीयतनामा जायज वारीसान थे । चूंकि हापूराम ने अपने जीवनकाल में जैर अपील भूमि के वसीयत दिनांक 12.05.1989 को अपीलांट के पक्ष में कर दी थी तथा निरन्तर कब्जा रहा है और जबतक वसीयत अस्तित्व में है तब तक उसे सुना जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनकर मजमेआम में निर्णय देना था तथा पक्षकारों को सम्पूर्ण सुनवाई कर विधिसम्मत वसीयतन प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में जैरअपील आदेश कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 चक 7 एसएसएम निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि जैरअपील भूमि को वसीयत दिनांक 12.05.1989 के अनुसार दोनों पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम

वादपत्र संख्या :– 2020/00009

पत्रावली आज दावा विड्रो करने के प्रा0पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत के आधार पर पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से सहमति हो गई। अतः आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। यह प्रा0पत्र स्वीकार कर पत्रावली जरिये विड्रो खारिज के आदेश प्रदान करें। अतः प्रार्थी के जरिये अधिवक्ता निवेदन पर प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर जरिये विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 60 / 02

1. चन्दूराम पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम खारबारा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर एवं हाल निवासी 11 के. जे. डी. तहसील बीकानेर।

.....वादी

बनामण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।
2. रेन्जर वन विभाग खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री नरेन्द्र गौड अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :—

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने दिनांक 09.02.94 को तत्कालिन उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नं0 2 मुकाम खाजूवाला के चक 11 के. जे.डी. के मुरब्बा नं. 143 / 7 में किला नं0 5,6 में 2 बीघा कमाण्ड एवं 3,4,7,8,13 ता 18, 23 ता 25 में 13 बीघा अनकमाण्ड कुल 15 बीघा भूमि नियमानुसार जरिये रजिस्ट्री खरीद की। यह रकबा वादी ने गणेशाराम पुत्र श्री भोमाराम जाति नाई निवासी खेतड़ी तहसील रतनगढ़ जिला चुरू से खरीद किया था, जो गणेशाराम को नियमानुसार पुख्ता आवंटन हुआ। जिसकी खातेदारी दिनांक 06.11.90 को मिली जिसका इंतकाल दिनांक 11.05.94 को नियमानुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया गया उस समय वन विभाग का इसमें कोई दखल नहीं था जब खातेदारी दी जाती है तो तहसील से रिपोर्ट ली जाती है उसमें रकबे पर किसी तरह का कोई ब्लेम होता है तो खातेदारी नहीं ली जा सकती जबकि वादी ने जो रकबा खरीदा है वह खातेदारी से पूर्व, खातेदारी के समय व खातेदारी के बाद निजोखमा था क्योंकि 26.01.88 को ए. सी.सी. बीकानेर ने उपनिवेशन तहसीलदार छतरगढ़ नं0 2 को पत्र लिखा जिसमें उपरोक्त रकबे को वन विभाग से बाहर करना बताया है तब से लेकर वन विभाग ने कोई उज्र नहीं किया है। परन्तु दिनांक 18.07.[illegible] को खाजूवाला रेन्जर एवं उसके अधीन कर्मचारीगण ने अपने खेत में वादी को [illegible]ने से रोका तथा कहा कि यह रकबा वन विभाग का है और हम तुम्हें बेदखल कर [illegible] वादी जब अपने खेत में ट्रेक्टर से काश्त कर रहा था तब वन विभाग के उपर [illegible] कर्मचारियों ने रोका तथा काश्त करने से मना किया तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी वादी को डर है कि उसे नाजायज ढंग से वन विभाग वाले बेदखल कर सकते है जबकि रिकॉर्ड के सारे कागजात वादी के पक्ष में बोलते हैं तथा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो वन विभाग के पक्ष में बोलता हो और वन विभाग के पक्ष में जब इन्टरी थी तो उसे हटाया गया और वह भी वन विभाग की सहमती से तो वन विभाग के किसी भी आदमी ने दिनांक 18.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

07.94 तक कोई एतराज नहीं किया और मौके पर वादी अब ढाणी बनाकर सपरिवार निवास करता है ऐसी दशा में अगर वादी को बेदखल किया जाता है तो यह कानुन की खिलाफ वर्जी होगी। रजिस्ट्री कराने के बाद वादी ने अपने नाम से रकबा दर्ज कराने वास्ते अर्थात् इन्तकाल दर्ज करने वास्ते नियमानुसार सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को कई दरख्वास्ते दी परन्तु उपनिवेशन तहसील खाजूवाला का रकबा रेवेन्यू को हेन्ड ओवर होने की वजह से आज तक वादी के नाम से इन्तकाल नहीं हुआ है। जबकि वादी नियमानुसार उपरोक्त रकबे का मालिक है क्योंकि यह रकबा नियमानुसार उसका खरीदा हुआ है और नियमानुसार उसके कब्जे काश्त में है तो वन विभाग द्वारा वादी को बेदखल करना अनुचित है। वादी वाद पत्र के साथ में ए.सी.सी. द्वारा उपनिवेशन तहसील को लिखे पत्र की फोटो प्रति, खातेदारी सनद की फोटोप्रति, खातेदारी इन्तकाल की फोटोप्रति, गिरदावरी की फोटो प्रति एवं वादी द्वारा खरीद की गयी रजिस्ट्री की फोटो प्रति संलग्न की जा रही है। जो इस बात को स्पष्ट करते है कि उपरोक्त रकबे पर वन विभाग का कोई लेना देना नहीं हैं फिर भी वादी को बिना कारण बेदखल करने की धमकी दी गई उसे काश्त करने से बन्द किया गया जबकि अब काश्त करने का समय है वन विभाग की यह कार्यवाही कानुन के खिलाफ है। लिहाजा वादपत्र पेशकर अर्ज है कि उपरोक्त तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुवे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी को उसके रकबे से बेदखल न करें ना ही काश्त करने से रोके और अन्य कोई राहत हो तो भी दी जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादीगण स्वीकार तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00073

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1 तुलछी, रामेश्वर, नेतराम, सावित्री पि. मोतीराम जाति कुम्हार साः 2 एमजीडब्ल्युएम तहः खाजूवाला।

..........प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री इदरीश अहमद कुरेशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– दिनांक :–

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/27 के किला नं0 1 ता 17, 24, 25 कुल 19.00 बीघा खातेदार तुलछीदेवी, रामेश्वरलाल, नेतराम, सावित्री पि. मोतीराम जाति कुम्हार निः 2 एमजीडब्ल्युएम द्वारा अवैध खनन होना पाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी खातेदार को अवैध खनन करते होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार [illegible] को दिलाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता इदरीश अहमद कुरेशी ने रामेश्वर, नेतराम, सावित्री की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के नाम से चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/21 के किला नं0 1 ता 17, 24, 25 की कुल 19.00 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज है। जिसपर प्रतिवादीगण मौका पर काबिज होकर कृषि कार्य में उपयोग लेते है और यहां ढाणी बनाकर रह रहे है। इसलिए वादी द्वारा निराधार व तथ्यहीन आधारों पर प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। किसी प्रकार का सर्वे किये बिना ही वाद प्रस्तुत किया गया है। अगर वादी अपने मनसुबो में सफल हो जाता है, तो प्रतिवादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादीगण के परिवार को भेखे मरने की नौबत आ जायेगी। इसकारण वादी द्वारा मनगढत व काल्पनिक तथ्यों पर प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/124 दिनांक 03.03.2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा जमाबन्दी में अराजीराज है। उक्त रकबे पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का स्थगन है। मौकानुसार उक्त रकबे मु0नं0 100/21 के किला नं0 1 ता 17, 24, 25 में तादादी 19.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त व ढाणी बनाकर निवास तुलछीदेवी के वारिसो द्वारा है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है पूर्व में उक्त रकबे में अवैध जिप्सम खनन (कृषि से अकृषि कार्य) होता था।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

......जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवा[illegible] वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और [illegible] है। [illegible] द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलि[illegible] वादी की वाद खारिज फरमाया जावे।

.....जिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 13.5.15 व न्यायालय हाजा में दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत दोनों रिपोर्ट में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–70/2022

1. अनिलकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी 25 केएनडी तहः खाजूवाला। .. ... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– 10.10.22

–: आदेश:–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम से चक 25 केएनडी के मु0नं0 152/40 में 21.00 बीघा कृषि भूमि रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थी के पड़ौस में ही मु0नं0 152/32 सुल्तानसिंह पुत्र खेतसिंह की कृषि भूमि है जिसमें सीमाज्ञान हेतु उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसपर प्रार्थी को बिना प्रोपर तरीके से सूचना दिये बिना व प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी के पड़ौस का मुरब्बा 152/32 का सीमाज्ञान किया गया जिसमें प्रार्थी खाजूवाला से बाहर होने के कारण हाजिर नहीं हो पाया था अब प्रार्थी न्यायहित में अपनी उक्त कृषि भूमि व 152/32 का पुनः सीमानज्ञान करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी के साथ न्याय हो सके। चक 25 केएनडी के मु0नं0 152/40 व 152/32 का सीमाज्ञान न्यायहित में पुनः करवाये जाने का आदेश फरमावें। सुल्तानसिंह पुत्र खेतसिंह निः 25 केएनडी द्वारा भी उपस्थित न्यायालय होकर प्रा0पत्र इस आश्य का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के खेत की पैमाईस दिः 8.6.22 को की गई थी तथा निशानदेही के खुंटे उखाड़–कर फैंक दिये है तथा अपनी तारबन्दी को मुताबिक पैमाईस हटाने से इन्कार हो गये है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि मय पुलिस जाप्ता से अतिक्रमण हटाकर प्रार्थी की भूमि मु[illegible]ने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

सुल्तानसिंह का प्रार्थनापत्र इस पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है [illegible] में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपो[illegible] प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 25 केएनडी के मु0नं0 152/40 के किला नं0 1 ता 11, 13 ताा 18, 24, 25 कुल 4.6281 है0 कृषि भूमि अनिलकुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी खाजूवाला के नाम दर्ज

है। मौके पर उक्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अनिलकुमार पुत्र मदनलाल का ही कब्जा काश्त है।

पत्रावली में तहसीलदार खाजूवाला द्वारा मु0नं0 152/32 के करवाया गए सीमाज्ञान पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार दिनांक 08.06.22 को उक्त मुरब्बे का सीमाज्ञान में तहसीलदार खाजूवाला द्वारा टीम बनाकर किया गया किन्तु प्रार्थी अनुसार उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी के मुरब्बे चिपते है।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुना जाना था क्योंकि प्रार्थी का मुरब्बा अप्रार्थी के चिपते है। तहसीलदार खाजूवाला से मुरब्बा नं0 152/32 व 152/40 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह मुरब्बा नं0 152/32 व 152/40 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :—2016/00017

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता ने उपस्थित आकर पत्रावली नोटप्रेस के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया कि पत्रावली में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः न्यायहित में वादी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नोटप्रेस के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :—2016/00053

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मूलदावा नोटप्रेस के आधार पर खारिज हो चुका है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:55 IST
Reason: SelfAttested